प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0
चर्तुथ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
फोनः 2720718 फैक्सः 2720837, टोल फ्री नं0 1800 1800 118
Email: updasp12@gmail.com; Website: www.updasp.org

पत्रॉक3616/डास्प/125/टी0ए0/क्रा0डा0 विविध/2014
दिनॉकः30 दिसम्बर, 2015

जिला परियोजना समन्वयक,यूपीडास्प,
जिला परियोजना समन्वय इकाई,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना
समस्त योजना जनपद।

विषयः फार्म मशीनरी के क्रय व साइट स्पेसिफिक गतिविधि की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 3437/क्रा0डा0/एग्री0विज0/डास्प/2015 दिनांक 21.11.2015, पत्र संख्या 3461/डास्प/125/टी0ए0/क्रा0डा0 विविध/2015 दिनांक 26.11.2015 एवं बैठक दिनांक 21.11.2015 के निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या 3492/मू0एवं0अनु0/डास्प/2014 दिनांक 30.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा योजनान्तर्गत फार्म मशीन एवं साइट स्पेसिफिक गतिविधियों हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त निर्गत निर्देशों के क्रम में योजना जनपदों/जोनल अधिकारियों द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन में कतिपय समस्याओं को संदर्भित किया गया है। उक्त समस्याओं का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजना क्रियान्वयन में गति लाते हुए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों की समयान्तर्गत पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	संदर्भित समस्या	समस्या निराकरण हेतु निर्देश/सुझाव
1.	यूपीडास्प की वेबसाइट पर अपलोड किये गये फर्मों के डीलर/विक्रेता सम्बन्धित जनपद में उपलब्ध नहीं है।	अपलोड किये गये फर्मों के डीलर/विक्रेता की सूची लाभार्थियों को विभिन्न उत्पाद की जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से है। यह आवश्यक नहीं है कि वह इन्हीं से यंत्र क्रय करे। योजना का उद्देश्य कृषक को ब्रान्डेड उत्पाद से अवगत कराकर उसकी क्रय क्षमता में वृद्धि करना है। उक्त के अतिरिक्त पी0एम0जी0 द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों का विवरण यूपीडास्प की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है जिसकी सूची पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगी। सम्बन्धित निर्माता कम्पनी/डीलर सम्बन्धित लाभार्थी से स्वयं (फील्ड स्टाफ) सम्पर्क करेंगे। इस प्रकार कृषक अपने स्तर पर कीमत/दरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कीमत कम (Negiotiate) भी कर सकता है।
2.	बैंक द्वारा रू0 50,000.00 से अधिक धनराशि का ड्राफ्ट बनवाने पर सम्बन्धित कृषक से पैन नम्बर की मांग की जा रही है जो कि उपलब्ध नहीं है।	समस्त कृषक लाभार्थियों का बैंक खाता है। रू0 50,000.00 से अधिक धनराशि का ड्राफ्ट बनवाने पर सम्बन्धित कृषक से पैन नम्बर की मांगे जाने की स्थिति में उचित होगा कि सम्बन्धित कृषक अपने बैंक खाते से सम्बन्धित डीलर को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/चेक द्वारा भुगतान कर सकता है। चूँकि कृषि आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, अतः सम्बन्धित लाभार्थी से सम्भवतः पैन नम्बर की मांग नहीं की जायेगी।
3.	डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में डीडी चार्ज की वसूली बैंक द्वारा की जा रही है जो कि अधिक है।	बैंक ड्राफ्ट चार्ज काफी न्यून होते हैं जिनका कि वहन सम्बन्धित कृषक द्वारा किया जा सकता है, फिर भी इस हेतु सम्बन्धित जनपद के लीड बैंक मैनेजर अथवा जिलाधिकारी से सम्पर्क कर योजना में डीडी चार्ज को मुक्त कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

क्र0 सं0	संदर्भित समस्या	समस्या निराकरण हेतु निर्देश / सुझाव
4.	अधिकांश कृषकों के पास चेक बुक उपलब्ध नहीं जिस कारण से चेक से भुगतान किये जाने में समस्या है एवं नगद भुगतान की अनुमति चाही गयी है।	योजना में यंत्र क्रय हेतु नगद भुगतान की अनुमति नहीं है। प्रयास किया जाए कि सम्बन्धित कृषक अपने खाते से बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही करें। यदि चेक बुक की आवश्यकता है तो इसे ऑनलाइन अथवा बैंक से अनुरोध करने पर चेक बुक की मांग की जाए। सम्बन्धित लाभार्थी के दर्ज निवास पते पर चेक बुक एक सप्ताह में प्रायः बैंक द्वारा प्रेषित की जाती है।
5.	ग्रामीण स्तर पर कृषकों के पास डीलर को एक मुश्त भुगतान की धनराशि उपलब्ध नहीं होती है वह किश्तों में भुगतान करता है जिस कारण निर्देशों के अनुपालन में समस्या है।	प्रयास किया जाए कि एक मुश्त भुगतान हो। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित कृषक लाभार्थी अनुमन्य अनुदान धनराशि की सीमा तक की धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पार्टी को करे एवं शेष धनराशि (अनुदान धनराशि के समतुल्य) का न्यूनतम एक माह का पोस्ट डेटिड चेक से भुगतान किया जा सकता है। इस स्थिति में कृषक को सम्बन्धित विक्रेता को एक undertaking देनी होगी कि अनुदान धनराशि के समतुल्य का भुगतान का उत्तरदायित्व कृषक का होगा जिसकी प्रति जिला परियोजना समन्वयक को भी दी जाए। ऐसी दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सम्बन्धित यंत्र की डिलीवरी सम्बन्धित कृषक लाभार्थी को प्राप्त हो जाए तथा उसका सत्यापन नियमानुसार करते हुए अनुदान भुगतान की कार्यवाही करायी जाए।
6.	यंत्रों का क्रय जनपद के ब्रान्डेड कम्पनी के अधिकृत डीलर से ही किया जाए।	बैठक दिनांक 21.11.2015 के निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या 3492 दिनांक 30.11.2015 के बिन्दु संख्या 1.18 को निम्नवत् पढ़ा जाए। ''1.18 परियोजना समन्वयक द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यंत्रों का क्रय ब्रान्डेड कम्पनी से क्रय हेतु वरीयता दी जाए।''
7.	पत्रांक 3554 / वेब0 / मू0 एवं अनु0 / सीडीपी / डास्प / 2015 दिनांक 09.12.2015 के सम्बन्ध में	उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.12.2015 के सम्बन्ध में प्राप्त जिज्ञासाओं के क्रम में स्पष्ट किया जाना है कि बिन्दु संख्या 2 उन ऑनलाइन पंजीकृत कृषकों हेतु निर्गत है जिनका कि मूल से मिलान योजना कार्यालय में नहीं किया गया है। आफ लाइन पंजीकृत आवेदन पत्र जो कि योजना कार्यालय में सीधे प्राप्त हुए थे (योजना कार्यालय द्वारा जिनका कि मिलान भी मूल अभिलेखों से कर लिया गया है अथवा खसरा खतौनी मूल रूप में संलग्न किये गये हैं) हेतु उक्त बिन्दु संख्या 2 प्रभावी नहीं है।
8.	पत्रांक 3609 / वि0एवंले0 / क्रा0डा0परि0 / 2010 दिनांक 16.12.2015 के सम्बन्ध में	उक्त पत्र के द्वारा संलग्न प्रारूप के बिन्दु संख्या 4 में अंकित है, ''उक्त लाभार्थियों का देय अनुदान की धनराशि का प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त 'भुगतान हेतु पारित' कर संस्तुति सहित लाभार्थी के खाते में PFMS से अन्तरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है।'' उक्त बिन्दु संख्या में अंकित **स्वीकृति** उपरान्त भुगतान के स्थान पर **संस्तुति** उपरान्त भुगतान पढ़ा जाए। अर्थात जनपद स्तर पर क्रय किये गये यंत्रों का तीन दिवस के अन्दर सत्यापन उपरान्त जिला परियोजना समन्वयक अनुदान धनराशि का PFMS से अन्तरण किये जाने हेतु पी0सी0यू0, यूपीडास्प को दिये गये निर्देशानुसार फाइल प्रेषित की जाए।
9.	चॉफ कटर मैनुअल की क्रय कीमत पॉवर स्प्रेयर के समान है। अतः इसे	पी0सी0यू0, यूपीडास्प के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3612 / डास्प / 125 / टी0ए0 / क्रा0डा0 विविध / 2014 दिनांक 16.12.2015 द्वारा अनुमन्य कृषि यंत्र के साथ–साथ चॉफ कटर मैनुअल को भी नगद पर

क्र0 सं0	संदर्भित समस्या	समस्या निराकरण हेतु निर्देश / सुझाव
	भी नगद क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में	क्रय करने हेतु सम्मिलित माना जाए।
10.	ऑनलाइन पंजीकरण में कृषि यंत्र एवं साइट स्पेसिफिक गतिविधियों हेतु कृषक पंजीकरण न होने की स्थिति में योजना संशोधन के सम्बन्ध में	जनपदों की समीक्षा में यह पाया गया कि कार्य योजना के अनुरूप कई जनपदों में ऑनलाइन पंजीकरण पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। अतः जिन क्लस्टर प्रदर्शन, कृषि यंत्रों अथवा साइट स्पेसिफिक गतिविधियों में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो रहा है उनके समतुल्य वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष योजना संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करें। संशोधित प्रस्ताव में प्रेषित नये कृषि यंत्रों एवं पूर्व में निर्गत सूची जिसमें कि अधिक पंजीकरण / लाभार्थी प्राप्त हो रहे हैं का विधिवत परीक्षण करते हुए प्रस्ताव अनुमोदनार्थ यूपीडास्प मुख्यालय को विलम्बतः दिनांक 10.01.2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे कि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद को आबंटित वित्तीय कार्य योजना की शतप्रतिशत पूर्ति दिनांक 31.03.2016 तक प्रत्येक दशा में की जानी है।

उपरोक्त निर्देश परियोजना समन्वयक द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 30.12.2015 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

G. Singh

(प्रो0 गजेन्द्र सिंह)
तकनीकी समन्वयक / नोडल अधिकारी,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी / अध्यक्ष, पी0एम0जी0, समस्त योजना जनपद।
2. समस्त जोनल अधिकारी, पी0सी0यू0 यूपीडास्प।
3. प्रभारी टेक्नोक्रेट, पी.सी.यू., यूपीडास्प

तकनीकी समन्वयक / नोडल अधिकारी,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, उ0प्र0।